

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 14/10/2019

क्रमांक एफ 16-21/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स जयदीप इस्पात एंड अलॉय प्रा.लि. (बायर रॉड डिवीजन) द्वारा स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क पीथमपुर में रु.225 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से बायर रॉड विनिर्माण परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएँ दी जावे:-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) में प्रावधान अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन दिया जावे।
2. विद्युत टैरिफ में रियायत - मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार विद्युत टैरिफ में रियायत दी जावे।
3. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में उद्योग स्थापनार्थ समस्त प्रभावी कदम उठा लिये गये हो।
5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 14/10/2019

पृ.क्रमांक एफ16-21/2019/ए-ग्यारह

प्र. लेपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि., भोपाल।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर ।
5. कलेक्टर, जिला धार
6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स जयदीप इस्पात एंड अलॉय प्रा.लि., 103 लक्ष्मी टॉवर, 576, एमजी रोड, इन्दौर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग